चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे “मिशन शक्ति अभियान-4” के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/‘‘शक्ति दीदी’’ द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

“मिशन शक्ति अभियान-4” व ‘‘शक्ति दीदी’’ अभियान के तहत आज दिनांक 01.01.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को “मिशन शक्ति” व ‘‘शक्ति दीदी’’ के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री राज कमल के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष पहाड़ी श्री प्रवीण कुमार सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री श्याम देव सिंह द्वारा बलात्कार के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण-

उल्लेखनीय है कि दिनांक 02.01.2026 को एक वादिया द्वारा थाना पहाड़ी में सूचना दी गयी कि अभियुक्त आशिफ अली पुत्र मुन्ना अली द्वारा वादिया के साथ जबरजस्ती शारीरिक सम्बन्ध बनाने का प्रयास करना व अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देना । इस पर सूचना पर थाना पहाड़ी में मु0अ0सं0 02/2026 धारा 75(2),351(3) बीएनएस

बनाम आशिफ अली पुत्र मुन्नाअली पंजीकृत किया गया। पीड़िता का बयान अन्तर्गत धारा 183 बीएनएसएस के तहत मुकदमा उपरोक्त में धारा 64 की बढ़ोतरी करते हुए आज दिनाँक 06.01.2026 को उ0नि0 श्री श्याम देव सिंह द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त आशिफ अली पुत्र मुन्ना अली उपरोक्त को चौरा मोड़ विसण्डा से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.उ0नि0 श्री श्याम देव सिंह थाना पहाड़ी

2.आरक्षी नवीन कुमार

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री सत्यपाल सिंह एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री अरविन्द कुमार वर्मा के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री श्याम प्रताप पटेल के मार्गदर्शन में चौकी सीतापुर पुलिस टीम ने हमला कर हत्या का प्रयास करने के आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार किया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 18.12.2025 को वादिया रानी वर्मा पत्नी नत्थू निवासी पुरवा तरौहा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट द्वारा सूचना दी गयी कि 1. रमाकान्त उर्फ पिन्टू पुत्र राजकिशोर 2.पूनम देवी पत्नी रमाकान्त 3.विनय त्रिवेदी पुत्र राजकिशोर 4.सोम पुत्र रमाकान्त 5.राजकिशोर पुत्र रामसुख निवासीगण अमानपुर थाना कोतवाली कर्वी द्वारा एक राय होकर वादिया व उसके लड़के भोलू को अपने घर में बंधक बनाकर जान से मारने की नियत से भोलू के गले में फंदा डालकर गाली गलौज कर मारपीट करना व जाति सूचक शब्दो से अपमानित करना । इस सूचना पर थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 751/2025 धारा 191(2),127(2),109,115(2),352 बीएनएस व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया था। दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 127(2) की घटोतरी करते हुए धारा 191(2),109,115(2),352 बीएनएस व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट में आज दिनाँक 06.01.2026 को उ0नि0 श्री यदुवीर सिंह चौकी प्रभारी सीतापुर ने मुखबिर की सूचना पर विनय त्रिवेदी पुत्र राजकिशोर त्रिवेदी निवासी पुरवा तरौहा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को बेड़ीपुलिया से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम-

1.उ0नि0 श्री यदुवीर सिंह चौकी प्रभारी सीतापुर

2.आरक्षी अनुज यादव